भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 847

उत्तर देने की तारीख 21.07.2022

कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए अध्ययन

847. श्री के. मुरलीधरन:
श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का बिहार सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देशभर में एमएसएमई पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए कोई अध्ययन शुरू/पूरा किया है और यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एमएसएमई को कोविड-19 के प्रभाव से उबारने में मदद करने के लिए कोई योजना तैयार की है और इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत और वितरित की गई है और यदि हां, तो बिहार सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोगों को लाभ प्राप्त हुआ है; और

(घ) क्या सरकार एमएसएमई की स्थापना को बढ़ावा देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : दिनांक 01.07.2020 को शुरुआत के समय से लेकर दिनांक 15.07.2022 तक उद्यम पंजीकरण (यूआर) पोर्टल पर पंजीकृत और वर्गीकृत किए गए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या 95,91,422 थी। इनमें से 91,61,600 सूक्ष्म उद्यम; 3,91,742 लघु उद्यम और 38,080 मध्यम उद्यम थे। बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध पर दिया गया है।

(ख) और (ग) : दिनांक 7 सितम्बर, 2021 को एमएसएमई मंत्रालय ने इस क्षेत्र पर एमएसएमई वर्गीकरण में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को अध्ययन का कार्य सौंपा गया था। उक्त अध्ययन के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ कोविड-19 महामारी के कारण एमएसएमई क्षेत्र को हुए नुकसान का आकलन भी शामिल था। उक्त अध्ययन 20 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में फैले हुए 1,029 एमएसएमई के रैंडम सैंपल पूल को लेकर सिडबी द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित था। अध्ययन की रिपोर्ट दिनांक 27 जनवरी, 2022 को प्रस्तुत की गई थी जिसमें पाया गया था कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 67 प्रतिशत उत्तरदाता एमएसएमई इकाइयां 3 माह तक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से बंद थीं और 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरदाता इकाइयों ने अपने राजस्व में 25 प्रतिशत से अधिक की कमी दर्ज की थी। लगभग 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने निर्धारित लागत में स्थिरता और राजस्व में कमी के कारण लाभ में गिरावट की सूचना दी थी। अध्ययन से पता चलता है कि सर्वेक्षण की गई लगभग 65 प्रतिशत एमएसएमई इकाइयों ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त किया है और लगभग 36 प्रतिशत उत्तरदाताओं (एमएसएमई) ने भी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्कीम के तहत ऋण प्राप्त किया है।

भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को कोविड-19 संकट से निपटने में सहायता करने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें (i) दबाबग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण; (ii) एमएसएमई सहित व्यवसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जिसे बाद में 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है; (iii) आत्म-निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी समावेशन; (iv) एमएसएमई के वर्गीकरण का नया संशोधित मानदंड; (v) व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से नए सिरे से पंजीकरण; (vi) 200 करोड़ रुपए तक की खरीद के लिए वैश्विक निविदाओं पर रोक शामिल हैं।

एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमें केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं। निधियों का आवंटन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नहीं किया जाता है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय का कुल बजट अनुमान 21,422 करोड़ रुपए है।

(घ) : उद्यमों का संवर्धन और विकास राज्य का विषय है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के प्रयासों के पूरक का काम करता है। मंत्रालय की स्कीमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 847 जिसका उत्तर दिनांक 21.07.2022 को दिया जाना है के, उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध

शुरुआत से दिनांक 15.07.2022 तक उद्यम के तहत पंजीकृत कुल एमएसएमई का राज्य-वार विवरण					
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**सूक्ष्म**	**लघु**	**मध्यम**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	2,42,401	13,831	1,219	2,57,451
2	अरुणाचल प्रदेश	3,668	146	16	3,830
3	असम	1,06,122	4,518	369	1,11,009
4	बिहार	3,65,795	8,124	482	3,74,401
5	छत्तीसगढ़	1,17,797	6,122	724	1,24,643
6	गोवा	16,677	836	105	17,618
7	गुजरात	7,24,434	45,193	4,707	7,74,334
8	हरियाणा	3,15,545	19,992	1,861	3,37,398
9	हिमाचल प्रदेश	46,734	2,104	266	49,104
10	झारखंड	1,49,318	4,493	332	1,54,143
11	कर्नाटक	5,34,139	24,578	2,304	5,61,021
12	केरल	2,19,245	11,199	918	2,31,362
13	मध्य प्रदेश	4,14,309	15,949	1,230	4,31,488
14	महाराष्ट्र	18,33,765	57,707	6,792	18,98,264
15	मणिपुर	29,276	337	15	29,628
16	मेघालय	3,907	201	25	4,133
17	मिजोरम	5,888	110	9	6,007
18	नागालैंड	5,092	87	8	5,187
19	ओडिशा	1,83,919	7,106	545	1,91,570
20	पंजाब	3,30,812	15,435	1,441	3,47,688
21	राजस्थान	7,21,005	23,851	1,845	7,46,701
22	सिक्किम	2,541	82	8	2,631
23	तमिलनाडु	9,82,675	36,097	3,120	10,21,892
24	तेलंगाना	2,86,468	15,468	1,852	3,03,788
25	त्रिपुरा	10,445	389	26	10,860
26	उत्तर प्रदेश	7,40,765	29,013	2,471	7,72,249
27	उत्तराखंड	84,102	3,386	310	87,798
28	पश्चिम बंगाल	2,74,520	17,772	1,765	2,94,057
29	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	5,564	172	4	5,740
30	चंडीगढ़	16,465	1,160	140	17,765
31	दादरा और नगर हवेली	5,240	476	88	5,804
32	दमन और दीव	2,356	330	61	2,747
33	दिल्ली	2,44,610	22,338	2,792	2,69,740
34	जम्मू और कश्मीर	1,17,645	2467	176	1,20,288
35	लद्दाख	3,655	70	1	3,726
36	लक्षद्वीप	323	0	0	323
37	पुडुचेरी	14,378	603	53	15,034
	कुल:-	**91,61,600**	**3,91,742**	**38,080**	**95,91,422**
	दिनांक:- 15/07/2022 की रिपोर्ट पूर्वाह्न 11:05				